

प्रेस नोट दिनांक – 28.06.2021

इटावा पुलिस द्वारा थाना बसरेहर क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 27.06.2021 को प्रापर्टी डीलर के साथ मारपीट कर अवैध रूप से वसूली करने 02 अभियुक्तों अवैध असलहा सहित गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 28.06.2021 को थाना बसरेहर पर वादी अखिलेश कुमार (प्रापर्टी डीलर) पुत्र श्रीराम निवासी सरैया ताड थाना बसरेहर द्वारा सूचना दी कि कल दिनांक 27.06.2021 को समय करीब 12:00 बजे दिन में सरैया ताड स्थित अपनी जमीन पर प्लाटिंग कर रहा था उसी समय विनोद उर्फ छोटे पुत्र भारत सिंह व अजय उर्फ गट्टे पुत्र करतार किशन निवासीगण दुर्गापुरा थाना बसरेहर एवं पप्पू उर्फ शकील पुत्र सुलेमान निवासी सुल्तानपुर थाना बसरेहर जनपद इटावा द्वारा उसके प्लाट पर आकर मारपीट कर जबरजस्ती प्लाट नाम कराने एवं नाम न करने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी इस सूचना पर तत्काल थाना बसरेहर पर मु0अ0स0 118/21 धारा 323,504,506,386 भादवि अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम प्रयासरत थी ।

इसी क्रम में आज दिनांक 28.06.2021 को मुखबिर की सूचना के आधार पर अमृतपुर धाम के पास चैकिंग के दौरान मारपीट कर वसूली करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया एवं अभियुक्तों के कब्जे से 02 तमंचा 315 बोर व 05 जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किए गये । उक्त गिरफ्तार अभियुक्तों से अवैध शस्त्रों की बरामदगी के आधार पर थाना बसरेहर पर मु0अ0स0 119/21 व 120/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट अभियोग पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. विनोद उर्फ छोटे पुत्र भारत सिंह निवासी दुर्गापुरा थाना बसरेहर जनपद इटावा ।
2. अजय उर्फ अमन उर्फ गट्टे पुत्र करतार किशन निवासी दुर्गापुरा थाना बसरेहर जनपद इटावा ।

बरामदगी-

1. 01 ईको कार यूपी 75 एजे 6924
2. 01 इटियोस कार यूपी 75 एटी 4102
3. 02 तमंचा 315 बोर
4. 05 जिंदा कारतूस 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 118/21 धारा 323,504,506,386 भादवि थाना बसरेहर
2. मु0अ0स0 119/21 धारा 3/25 आर्म्स थाना बसरेहर
3. मु0अ0स0 120/21 धारा 3/25 आर्म्स थाना बसरेहर

पुलिस टीम- उ0नि0 श्री भगवान सिंह थानाध्यक्ष बसरेहर, उ0नि0 श्री इंदू हसन, का0 शीशपाल, का0 तेजपाल, का0 अमन मिश्रा

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा